तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनिल कुमार बनाम नगर विकास न्यास, अलवर 459 / 16 (आरसीएमएस नं. 2015 / 00129) दीपक खण्डेलवाल बनाम नगर विकास न्यास, अलवर 460 / 16 (आरसीएमएस नं. 2015 / 00126)	
26.02.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर के आदेश दिनांक 08 / 34–35 / 08 दिनांक 27.02.2008 के विरूद्ध हस्तगत अपीलें प्रस्तुत की गई है जबकि न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 06.10.2015 से प्राधिकृत अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 / 34–35 / 08 दिनांक 27.02.2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर को प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की हस्तगत अपीलों पर न्यायालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट की दोनों अपीलें पर न्यायालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रतिलिपि दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जावे। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त जयपुर	